ग्राम पंचायत खनेटी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला, के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खनेटी, विकास खण्ड नारंकडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री दलवीर	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री राजेन्द्र कुमार	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्र0सं	नाम	अवधि
1	श्री दया राम	19.07.2011 से 06.12.2016 तक
2	श्रीमती रमला देवी	06.12.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत खनेटी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5 (ख)	दिनांक 31.3.2017 को पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर बारे	0.76
2	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.25

3	7	विभिन्न मदों की खरीद एवं निमाण कार्यों, मस्ट्रोलों के भुगतान हेतु की राशि का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे	4.75
4	9	दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना	13.86
5	10	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	4.98
6	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.82
7	12	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डारण पुस्तको में प्रविष्टि न किया जाना	0.48

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत खनेटी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05.09.2017 से 12.09.2017 के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014—15	7/2014	8/2014
2015—16	3/2016	5/2015
2016—17	3/2017	6/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत खनेटी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 540/2017 दिनांक 6.9.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खनेटी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

सचिव, ग्राम पंचायत खनेटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Intergrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखाकिंत आय व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों का निर्माण नहीं किया गया। खाता बही न बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय, व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट–1"** पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत खनेटी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) दिनांक 31.3.2017 को पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹0.76 लाख के अन्तर बारे

पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.3.2017 को दर्शाये गये अन्तिम शेष की अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि दोनों के बीच ₹76445 का अन्तर था। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अन्तर बारे आवश्यक कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 539/2017 दिनांक 05.09.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 12.9.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत खनेटी द्वारा सूचित किया गया कि यह अन्तर बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण है। इस बारे में आवश्यक छानबीन के उपरान्त कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।

अन्तर का विवरण

Closing Balance as per General Cash Book	1948181.54
Cash in hand as on 31.03.2017 as per General Cash Book P.No.	30.00
Bank Account (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate) A/C 58	1446519.60
Bank Account (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate) A/C 1000	447927.94
Bank Account (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate) A/C 4724	6662.00
Bank Account (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate) A/C 1657	100966.00
Bank Account (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate) A/C 1669	14317.00
Bank Account (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate) A/C 1726	8204.00
Total	2024626.54
Difference (If any)	76445.00

6 पंचायत राजस्व की ₹0.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–2** में दिये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक राजस्व ₹25550 वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

7 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, मस्ट्रोलों इत्यादि भुगतान हेतु ₹4.75 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹475061 के व्यय वाउचरों/मस्ट्रोलों का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान को किया गया दर्शाया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि व्यय वाउचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था। जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–3** पर दिया गया है। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान के नाम करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों व पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या 539A/2017 दिनांक 06.09.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 01 दिनांक 06.09.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ज्यादात्तर भुगतान मजदूरो को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगें।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म–11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

9 अनुदान की ₹13.86 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्त्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक कुल ₹1386550 उपयोग हेतु शेष थे। जिसका विवरण **परिशिष्ट–4** पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹4.98 लाख का अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–5"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹498643 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण

अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त अधिकतर कार्यों की प्रविष्टि माप पुस्तिका में नहीं की गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निर्माण कार्यो पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.82 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–6"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹382144 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि भवन निर्माण सामग्री की खरीद जैसे कि पत्थर की खरीद चट्टे में और रेत की खरीद गाड़ी की संख्या के आधार पर की गई थी। जबकि नियमानुसार इन सभी मदों की खरीद घन मीटर एवं घन फुट में की जानी अपेक्षित थी तथा खरीद की गई सामग्री की प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्ज की जानी आपेक्षित थी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

12 क्रय किए गए ₹0.48 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डार पुस्तकों में प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (a, b,c, एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई ₹48400 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट–7"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरान्त

भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः क्रय की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 Integrated Water Shed Development Project के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों को वितरित ₹0.50 लाख ऋण की राशि को प्राप्त न करनाः–

Integrated Water Shed Development Project के नियमों के अनुसार परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी ग्रुप को ₹25000 प्रति ग्रुप की दर से जीवनज्ञापन हेतु प्रदान की गई थी। इस परियोजना के निर्देशों अनुसार लाभार्थी ग्रुप को ऋण की राशि को ऋण देने की तिथि से 15 महीने के अन्दर ग्राम पंचायत में वापिस जमा करवाई जानी थी। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल 6 लाभार्थी समूहों को ऋण की राशि प्रदान की गई थी। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्तमान समय तक न तो किसी लाभार्थी ग्रुप द्वारा ऋण की राशि को वर्तमान समय तक वापिस नहीं किया गया और न ही इस सन्दर्भ में ऋण वापसी हेतु कोई पत्राचार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी ग्रुप के साथ किया गया था। इस प्रकार परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभ भोगी/लाभार्थी समूहों से ऋण की कुल ₹50000 वर्तमान समय तक वसूली हेतु शेष थी। निम्न दिया गया है। अतः परियोजना नियमों की अनदेखी करके ऋण की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी समूहों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Vr.No./Dt.	Cash Book P.No.	Amount	To whom Paid
06 of 2015-16	04	25000	Self Help Group Jailadi
Nil of 19.5.2015	04	25000	Self Help Group Kanhar
Total		**50000**	

14 विभिन्न भुगतानों के सन्दर्भ में भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त न किया जानाः–

नियमानुसार किसी भी मद की खरीद या अन्य हेतु पंचायत निधि/GIA से भुगतान करने पर भुगतान प्राप्त करने व्यक्ति से या अन्य से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण में विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न भुगतानों के सन्दर्भ में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Vr.No./Date	Cash Book Page. No.	Amount	To whom Paid	Remarks
8/19.5.2015	4	22199	Project Director, DWDA Shimla	Interest Amount on IWSDP GIA returned.
Nil/19.9.2016	42	88000	BDO Narkanda	Grant Returned earlier received for C/O Toilet at Kanhar.

15 चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए भुगतान के सन्दर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारेः–

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों कों किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जिसके कारण इन सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक

है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानो के खाते (Ledgers)	7	29 (1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29 (4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72 (1) (a & b)
11	निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविध अनियमितताएंः–

(i) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जानाः–

ग्राम पंचायत खनेटी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अन्त में रोकड़ बही में हस्तगत राशि के साथ सम्बन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न करने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 29 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म–7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29 (1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म–8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म–8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29 (4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ मे अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत खनेटी द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणो को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(v) ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत खनेटी द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए

जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदो से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखाकिंत किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

20 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 72/2017–खण्ड–1–6912–6915 दिनाँक 25.11. 2017 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत खनेटी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881